



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012021-224684
CG-DL-E-25012021-224684

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]
No. 318]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 2021/माघ 5, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 2021/MAGHA 5, 1942

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2021

का.आ. 349(अ).—केंद्र सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों के नामांकन को अधिसूचित करती है :-

क्र. सं.	नाम	अधिनियम की धारा
1.	निदेशक, हतकरघा और रेशम उत्पादन, औद्योगिक विभाग, हतकरघा और रेशम उत्पादन निदेशालय, बिहार, पटना	अधिनियम की धारा 4(3)(छ) के अंतर्गत बिहार सरकार की सिफारिश पर नामित
2.	श्रीमती कजोरी राजखोवा, निदेशक रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन निदेशालय कार्यालय, खानापारा, गुवाहाटी, असम	अधिनियम की धारा 4(3)(छ) के अंतर्गत असम सरकार की सिफारिश पर नामित

[फा. सं. 25011/17/2019-रेशम]

संजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2021

S.O. 349(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following persons to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act:

S. No.	Name and designation	Section of the Act
1	Director, Handloom & Sericulture, Department of Industries, Directorate of Handloom & Sericulture, Bihar, Patna	Nominated on the recommendation of Govt. of Bihar under Section 4(3) (g) of the Act.
2	Smt. Kajori Rajkhowa, Director of Sericulture, Office of the Directorate of Sericulture Khanapara, Guwahati, Assam	Nominated on the recommendation of Govt. of Assam under Section 4(3) (g) of the Act

[F. No. 25011/17/2019-Silk]

SANJAY SHARAN, Jt. Secy.